न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बेगूसराय

(पीठासीन पदाधिकारी— श्री बिजेन्द्र कुमार)

विविध वाद संख्या— 155/2025
(मूल भरण पोषण वाद सं0—42/2022 से संबंधित)
लक्ष्मी कुमारी उर्फ पूनम बनाम् अमरजीत रजक

आदेश दिनांक— 09.06.2026

आवेदिका की ओर से हाजिरी दाखिल किया गया है। अभिलेख प्रस्तुत किया गया। पुकार पर आवेदिका अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए है। न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर आवेदिका एवं उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक—05.05.2026 के अनुसार प्रतिमाह आवेदिका के बैंक खाते में संबंधित विभाग द्वारा भरण—पोषण की राशि जमा करायी जा रही है। अतः मूल भरण—पोषण वाद सं0—42/2022 में पारित आदेश दिनांक—29.08.2023 के निष्पादन की संतुष्टि के आधार पर वर्तमान विविध वाद में आगे कोई कार्यवाही किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः वर्तमान विविध वाद की कार्यवाही को निष्पादन की संतुष्टि के आधार पर समाप्त किया जाता है। कार्यालय लिपिक आवश्यक कार्रवाई के उपरांत नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित
ह0/—
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, बेगूसराय।
09.06.2026